

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/ दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/कास/08/587 दिनांक 8.9.08 के द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक की एपीएआर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यालय सहायक के पद पर चयन कर एपीएआर प्राप्त होने की शर्त के आधार पर परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया था। अब इनकी संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने पर सीलबन्द लिफाफे खोला जाकर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति संस्थिति की अभिशंखा के आधार पर वर्ष 2007-08 की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यालय सहायक के पद पर विरुद्धता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग
1	श्री ओमप्रकाश	15.10.56	सामान्य
2	श्री अतेन्द्र कुमार शर्मा	1.3.52	सामान्य
3	श्री बनवारीलाल स्वामी	19.5.55	सामान्य

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेगे तथा पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1095

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवेद्यक कार्यवाही हेतु :-

1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान

2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।

3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

दिनांक:- 21/6/09

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर